कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91.761.2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र0 / डी0एम0 / 2699 जबलपुर दिनांक 03/09/20

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर

विषय :- छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की कैट प्लान की राशि जमा करने विषयक।
संदर्भ :- आपका पत्र कमांक / 2137 / कार्य / 2020 दिनांक 01 / 09 / 2020.

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की कैट प्लान की राशि जमा करने के संबंध में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में लेख है कि कृपया आपके संदर्भित पत्र में संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) का आदेश कमांक एफ-3 / 83 / 2017 / 10-11 / 9 / 40 दिनांक 27 / 08 / 2020 का अवलोकन करें। पत्र की प्रतिलिपि कमांक 6 में आपको स्पष्ट लेख किया गया है कि "केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान कार्य की राशि ई-पोर्टल पर कैम्पा मद में जमा करें।" अतः कृपया तदानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल जबलपुर

पृ0 क्र0 / डी0एम0 / 2700 जबलपुर दिनांक 03/09/20

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके आदेश कमांक एफ-3 / 83 / 2017 / 10-11 / 9 / 40 दिनांक 27 / 08 / 2020 के अनुकम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल जबलपुर
03/09/2020

कार्य.
03/09/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं/एफ–3/83/2017/10–11/9/40 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नई गाईड लाईन जो कि दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील होने के निर्देश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 को आयोजित की गयी। बैठक मे **छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना** के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का परीक्षण करने पर इसमे सुधार करने के निर्देश दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का पुनः दिनांक 06.02.2020 को समिति द्वारा परीक्षण करने पर यह पाया गया, कि केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान मे वृक्षारोपण/चारागाह विकास के कार्य प्रावधानित नही है। अतः इस संबंध मे केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान संशोधित करने के निर्देश कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ–3/2020/10–11/501, दिनांक 07.02.2020 से कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के द्वारा निर्देशों के पालन में पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.08.2020 को पुनः बैठक आयोजित कर केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	रकबा हेक्टे. में	राशि (रूपये में)
1	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार	3564.00	3,64,50,000
	जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये		36,45,000
	योग–	**3564.00**	**4,00,95,000**

राशि रूपये चार करोड़ पिन्चानवे हजार (जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की राशि रू. 3,64,50,000 एवं जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये 10 प्रतिशत की राशि रू. 36,45,000/–)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों क अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

27/8/2020
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं/एफ–3/83/2017/10–11/9/ 2735 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंडल जबलपुर/पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश, की ओर उक्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति संलग्न है। इस परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य के लिए राशि की मांग कैम्पा शाखा से करें।
6. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि ई–पोर्टल पर कैम्पा मद मे जमा करें।

संलग्नः–अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति।

27/8/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल